

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजनांतर्गत ₹ 5598.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 55,98,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी योजनांतर्गत ₹ 2853.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 28,53,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत योजनांतर्गत ₹ 1548.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 15,48,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक 4 से 5

सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान योजना के लिए ₹ 5269.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 52,69,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।